

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-उ-2(2)आरपीए/जन/घोड़े/2024/3201

दिनांक:- 22/6/2024

ई-निविदा सूचना

राजस्थान पुलिस अकादमी में स्थित रिसाला के घोड़ों के लिए निम्नानुसार सामग्रियों के उपापन हेतु एक वर्षीय दर संविदा के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 24.06.2024 को प्रात 10.00 बजे से दिनांक 01.07.2024 को प्रात 11.00 बजे तक www.eproc.rajasthan.gov.in पर डाउनलोड करके 04.07.2024 को दोपहर 3.00 बजे तक www.eproc.rajasthan.gov.in पर प्रस्तुत की जा सकती है। दिनांक 04.07.2024 को तकनीकी निविदा सायं 03.30 बजे खोली जावेगी। निविदा की मुख्य शर्तें एवं वितरण ई-निविदा की वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in एवं राजस्थान सरकार राज्य लोक उपापन पोर्टल की वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.rpa.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं:-

क्र. सं.	उपापन की का विषयवस्तु संक्षिप्त वर्णन	उपापन की अनुमानित लागत (राशि रुपये में)	बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रपत्रों का मूल्य	RISL प्रसोसिंग शुल्क	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय
1.	जो, चना, चापड़ जई, गुड व सरसों तेल।	33.00 लाख	अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत *	1000/- रू०	500/- रू०	04/07/2024 3.30 बजे


उप निदेशक एवं प्राचार्य
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में एवं राज्यस्तरीय समाचार पत्र में जिसका परिचालन 50 हजार प्रतियों से अधिक हो, में प्रकाशित करावें।
- समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज को भेजकर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ जिलों के ठेकेदारों को सूचित करने का श्रम करें।
- निजी सहायक, निदेशक, आर. पी. ए. जयपुर।
- निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, आर. पी. ए. जयपुर।
- निजी सहायक, उप निदेशक एवं प्राचार्य, आर.पी.ए. जयपुर।
- प्रभारी लेखा शाखा/ जनरल शाखा/प्रभारी स्टेशनरी/कैशियर, आर.पी.ए. जयपुर।
- प्रोग्रामर आर.पी.ए. जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा SPPP पोर्टल (www.sppp.rajasthan.gov.in), www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर मय खुली निविदा सूचना, निविदा प्रारूप एवम् शर्तों के अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
- नोटिस बोर्ड आर.पी.ए. जयपुर।


उप निदेशक एवं प्राचार्य
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

8. फर्म का जी.एस.टी में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। (GST रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करें।)
9. बोली के साथ संलग्न संलग्नक A, B एवं D (बोली के साथ संलग्न A, B एवं D अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने होंगे।)
10. बोलीदाता को उक्त कार्य का वित्त वर्षों (2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) का कार्यानुभव होना आवश्यक है। अनुभव की पुष्टि हेतु निर्धारित अवधि में सरकारी विभाग/निगम/बोर्ड/प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यदेश अथवा कार्यानुभव प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।
11. बोली के संबंध में किसी प्रकार की समस्या हो तो निम्न अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है:-

सहायक निदेशक (प्रशासन), राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर।

दूरभाष न. 0141-2302633 ई-मेल adadmnrpa@rajpolice.gov.in

लेखाधिकारी, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर।

मोबाईल न. 9785159758


उप निदेशक एवं प्राचार्य,
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।









राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

राजस्थान पुलिस अकादमी में स्थित रिसाला के घोड़ों के लिए विभिन्न सामग्री की आपूर्ति के लिए एक-वर्षीय दर संविदा हेतु आमंत्रित की जाने वाली बोलीदाता की योग्यताएँ एवं सामान्य शर्तें :-

1. ई-निविदा के दो भाग होंगे तकनीकी निविदा और वित्तीय निविदा। निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा से संबंधित दस्तावेज ही रखें जावेंगे तथा वित्तीय बिड साथ में संलग्न नहीं की जावेगी अगर वित्तीय बिड निविदादाता द्वारा संलग्न की गयी तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी एवं तकनीकी बोली में सफल निविदादाता की ही वित्तीय बीड ऑनलाईन खोली जायेगी।
2. ऑनलाईन प्रस्तुत की गई निविदा को डाउनलोड कर निर्धारित प्रोसेसिंग फीस, निविदा शुल्क एवं निर्धारित धरोहर राशि के नकद/बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट को पुलिस अकादमी कार्यालय में भौतिक रूप से दिनांक 04.07.2024 को 12.00 बजे तक प्रस्तुत की जावेगी। भौतिक दस्तावेज राजस्थान पुलिस अकादमी में लेखाधिकारी कक्ष में स्थित टेण्डर बॉक्स में मार्किंग के पश्चात डालने होंगे निर्धारित समय के पश्चात बॉक्स में डाला जाना अनुमत्त नहीं होगा तथा दिनांक 04.07.2024 को तकनीकी निविदा सायं 03.30 बजे खोली जावेगी।
3. बोलीदाता को बोली की दिनांक से गत 03 वर्षों में राज्य सरकार अथवा उपापन संस्था द्वारा काली सूची में डाला/विवर्जित/अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। (राशि रुपये 100/- के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर इस बाबत स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा)
4. बोलीदाता के पास गत 3 वित्तीय वर्षों 2020-2021, 2021-22 व 2022-23 में राशि रूपयें 50.00 लाख का औसत टर्नओवर होना चाहिए।
5. (गत तीन वित्तीय वर्ष 2020-2021, 2021-22 व 2022-23 के अंकेक्षित अन्तिम लेखों यथा व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट निविदा के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी। तथा सनदी लेखाकार द्वारा टर्नओवर प्रमाण-पत्र (सी.ए. द्वारा जारी किये गये गए प्रमाण पत्र पर रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित हो) संलग्न करना अनिवार्य है।
6. राजस्थान में अवस्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत की 0.50 प्रतिशत होगी एवं बोली प्रपत्र निर्धारित मूल्य के 50 प्रतिशत पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उक्त के सम्बन्ध में बोलीदाता को सम्बन्धित वर्ग के पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में छूट देय नहीं होगी।
7. बोली दाता के पास आयकर पैन नम्बर होना आवश्यक है। (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित छायाप्रति अपलोड करें।)

wdy A 3 53

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

A. बोलीदाता को निर्देश :-

1. बोलियाँ ऑनलाइन माध्यम से एकल पद्धति (द्वि-भाग) तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड से प्राप्त की जावेगी। तकनीकी बिड में योग्य पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
2. बोली के इच्छुक बोलीदाता को ई-बोली में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम वेबसाईट <http://www-eproc-rajasthan-gov-in> पर स्वयं का पंजीकरण कराना होगा। तत्पश्चात जो बोलीदाता ऑन लाईन टेण्डर्स में भाग लेना चाहते हैं. उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त करने होंगे। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित सी सी ए (Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजिटल ले सकते हैं। जिन बोलीदाता के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजिटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है. उन्हें पुनः डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
3. बोलीदाताओं को बोली के साथ निर्धारित शुल्क एवं प्रतिभूति राशि के रूप में अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डी.डी./एफडीआर/बैंक गारण्टी/ई-बैंक गारन्टी (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम से देय हो)/नकद/ई-ग्रास चालान के माध्यम से उपापन संस्था में जमा करना होगा। उक्त के अभाव में प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. सफल बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
5. सशर्त बोलियाँ अस्वीकार्य होगी।
6. सफल बोलीदाता को बोली अधिस्वीकृति पत्र जारी होने के 15 दिवस के भीतर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 के अनुसार उपापन की विषय वस्तु की प्राक्कलित लागत की 5% (राजस्थान में अवस्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु आपूर्ति आदेश की 1%) की दर से कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डी.डी./एफडीआर/बैंक गारण्टी (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम से देय हो) से जमा कराते हुए नियमानुसार राशि के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर स्वयं के व्यय पर अनुबन्ध करना होगा। उक्त के अभाव में बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी एवं बोलीदाता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकेगी। समस्त संविदाजात दायित्व संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि संवेदक को लौटा दी जावेगी। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
7. बोलीदाता को इस बोली प्रपत्र के साथ संलग्न संलग्नक A, B एवं D अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न करने होंगे।



राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

8. दर संविदा की अवधि 1 वर्ष होगी, जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
9. संविदा अवधि में संवेदक एवं आरपीए के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो निदेशक, आरपीए जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।
10. सभी प्रकार के कानूनी वाद जयपुर स्थित न्यायालयों में ही प्रस्तुत किये जा सकेंगे। अनुबन्ध अवधि के दौरान सामग्री/सामान की दरें स्थिर रहेगी। इनमें किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी। दरों में कमी के सम्बन्ध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 का नियम 29(2-ज) प्रभावी होगा।

B. कार्य निष्पादन सम्बन्धी शर्तें :-

1. उपाप्त की जाने वाली सामग्री/सामान हेतु दरें संलग्न वित्तीय प्रस्ताव में ही अंकित की जानी है। दरें, अंको एवं शब्दों में अंकित की जानी चाहिए। दरें प्रति इकाई रूपयें में अंकित की जानी चाहिए। दरों में शब्दों एवं अंको के मध्य विसंगति होने की स्थिति में आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 64 (ग) के अनुसार निर्णय लिया जावेगा।
2. आदेशित सामान/सेवा की आपूर्ति कार्यादेश जारी तिथि से 30 दिवस में नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में वर्णित प्रावधानानुसार परिनिर्धारित नुकसानी संवेदक से वसूलनीय होगी।
3. फर्म के पास गत तीन वर्ष का राजकीय विभाग के जानवरों के लिए खाद्य सामग्री सप्लाय का अनुभव होना चाहिए इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
4. फर्म के पास राजस्थान शॉप व व्यापार स्थापना सन् 1958 (SHOP ACT) की अनुज्ञप्ति होनी आवश्यक है।
5. विभाग किसी भी निविदा के एक आइटम को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
6. समस्त आइटमों के लिए एक ही निविदा समझा जावे पृथक आइटम के लिए निविदा स्वीकृत नहीं जावेगी, किसी विशेष आइटम में दर अधिक होने पर समस्त आइटमों के लिए कुल के न्यूनतम के आधार पर निविदा का मूल्यांकन किया जावेगा।
7. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानकिकरण अधिनियम 2006 (FOOD SAFETY AND STANDARDS ACT, FSSAI) के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है।



8. अनुबन्धकर्ता द्वारा यदि सामग्री/सेवा आपूर्ति नहीं की जाती है, कम मात्रा में आपूर्ति की जाती है अथवा घटिया गुणवत्ता की सामग्री/सेवा की आपूर्ति की जाती है तो संवेदक की रिस्क एवं कॉस्ट पर खुले बाजार से क्रय/कार्य कर लिया जावेगा तथा अन्तर राशि (यदि कोई हो) की वसूली संवेदक को देय राशि अथवा संवेदक द्वारा जमा कराई गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से कर ली जावेगी, जो परिनिर्धारित नुकसानी के अतिरिक्त होगी।
9. अपूर्ण/असंतोषजनक/घटिया गुणवत्ता की आपूर्ति करने अथवा आपूर्ति नहीं/विलम्ब से किए जाने पर अनुबन्ध को निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त कर संवेदक को अयोग्य घोषित/काली सूची में डाला जा सकता है।
10. बोली खुलने के पश्चात् यदि सफल/न्यूनतम बोलीदाता उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी दरों को वापस लेता है या अनुबन्ध पश्चात् निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारम्भ/आपूर्ति नहीं करता है तो बोली प्रतिभूति/कार्य-सम्पादन प्रतिभूति राशि (जैसी भी स्थिति हो) को जब्त कर बोलीदाता/संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
11. अनुबन्धकर्ता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री/सामान को सही स्थिति में अकादमी तक पहुँचाने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा। परिवहन में हुये किसी प्रकार की क्षति की जिम्मेवारी अनुबन्धकर्ता की ही होगी। अकादमी द्वारा उक्त हेतु कोई भुगतान/हर्जाना देय नहीं होगा।

C. मूल्यांक कसौटी एवं अनुबन्ध योग्यता निर्धारण प्रक्रिया :-

1. सर्वप्रथम बोलीदाताओं की तकनीकी बिड समिति द्वारा खोली जावेगी। तकनीकी बिड में सफल पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। बोलीदाताओं द्वारा "वित्तीय प्रस्ताव" में प्रस्तुत दरों के आधार पर समग्र रूप से न्यूनतम दरदाता का निर्धारण किया जावेगा।
2. उपापन समिति, यदि चाहे तो उपाप्त की जाने वाली सामग्री का नमूना जाँच कर सकती है। इस सम्बन्ध में बोलीदाता को कोई आपत्ति नहीं होगी एवं समिति के चाहे जाने पर अपेक्षित सामग्री का नमूना बोलीदाता को प्रस्तुत करना होगा। समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए नमूने की गुणवत्ता के आधार पर न्यूनतम बोलीदाता से इतर अन्य बोलीदाता की दरें भी स्वीकार की जा सकती हैं।

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार बोलीदाताओं से बातचीत भी की जा सकती है।
4. "वित्तीय प्रस्ताव" में वर्णित मात्रा अनुमानात्मक है अकादमी मे कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत इनमें कमी अथवा नियमानुसार वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिए स्वीकृत दरों से भुगतान किया जावेगा। न्यूनतम मात्रा के उपापन की कोई गारन्टी नहीं होगी।
5. यह आवश्यक नहीं है कि एक ही बोलीदाता से अनुबन्ध किया जावे, अकादमी स्वविवेक से एक से अधिक बोलीदाताओं से समान दरों पर अनुबन्ध कर सकती है। समान/सामग्री/कार्य के लिए एक से अधिक बोलीदाताओं से भी समान दरों पर अनुबन्ध किया जा सकता है।
6. अत्यन्त अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की दशा मे यह आवश्यक नहीं है कि न्यूनतम दर वाले बोलीदाताओं की दरों को स्वीकार किया जावे। सक्षम समिति बोलीदाता द्वारा दरों की औचित्यता के आधार पर न्यूनतम से अन्य बोलीदाता की दरें भी स्वीकार कर सकती है।

D. अन्य शर्तें/अनुदेश :-

1. निदेशक, आरपीए द्वारा अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी भी कारण से अवगत कराते हुये या बिना कारण अवगत कराये 30 दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में बोलीदाता को किसी प्रकार का हर्जा-खर्चा नहीं दिया जायेगा।
2. बोलीदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा योग्यता नहीं रखने पर बोली निरस्त/अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
3. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण अकादमी जयपुर (सामान्य शाखा) एवं बोली प्रपत्र मे किसी प्रकार का परिवर्तन Portal पर प्रदर्शित कर दिया जावेगा। (नियम 46 एवं 47 अनुसार)
4. बोलीदाताओं को राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
5. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम-2013 की धारा-38 के तहत कोई भी बोलीदाता अथवा भावी बोलीदाता जिसे यह प्रतीत होता है, कि इस बोली का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी **उप महानिरीक्षक**

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

पुलिस एवं अतिरिक्त निदेशक आरपीए, जयपुर के समक्ष अपील कर सकता है। साथ ही समान उद्देश्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी निदेशक, आरपीए जयपुर के समक्ष अपील कर सकता है (अनुलग्नक-‘स’)। प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु निर्धारित शुल्क क्रमशः राशि रूपये 2500/- एवं राशि रूपये 10000/- निर्धारित है, जो अपीलकर्ता को अपील के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम देय हो) संलग्न करनी होगी। अपील के साथ जमा कराई जाने वाली फीस अप्रतिदाय होगी।

6. किसी भी बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 81 (3) में वर्णित हित का विरोध की स्थिति में नहीं होना चाहिए।
7. राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम-2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में वर्णित प्रावधान एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देश/आदेश जो इस बोली हेतु प्रासंगिक हो अकादमी एवं सफल बोलीदाता द्वारा मान्य एवं बाध्यकारी होंगे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम व पता:-.....

मोबाइल/दूरभाष:-.....

परिशिष्ट "द" (प्रथम)
निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन आइटम/स्टोर/कार्य के लिए निविदा दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईउ विनिर्माता/निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु)/थोक विक्रेता/ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर/सोल सेलिंग मार्केटिंग एजेंट/प्राधिकृत डीलर/डीलर हूँ/है। मेरे द्वारा विभागीय परिशिष्ट अ. व: एवं स तथा निविदा सूचना को पूर्ण रूप से पढ़कर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की गई है/करूंगां/करेंगे और मैं/हम उन्हें अक्षरक्षः स्वीकार करते हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बयाना/प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जावे तथा निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।


निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर
पूर्ण पता—
टेलीफोन नं.

परिशिष्ट "द" (द्वितीय)
शपथ पत्र

मैं:—

यह कि मेरी फर्म एवं मेरी फर्म का प्रबन्धक किसी भी अपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं है। और न ही किसी भी राजकीय विभाग/अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा पूर्व में ब्लेक लिस्टेड/अमानत राशि जब्त कर निष्कासित किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर
पूर्ण पता—

9 

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

"वित्तीय प्रस्ताव"

परिशिष्ट "ई "

(बोली प्रपत्र - प्राईस बीड)

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक:

दिनांक

1.....के लिए बोली

(खाली स्थान में उस आईटम का नाम लिखे, जिसके लिए बोली दी गई हैं)

बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म:-.....

का नाम, डाक का पूर्ण पता:-.....दूरभाष

फैक्स नम्बर एवं ईमेल आईडी:-.....

3 बोली जिन्हें प्रस्तुत करनी है :-निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

4 सन्दर्भ बोली आमंत्रण सूचना संख्या-.....

दिनांकजो.....

(समाचार पत्र का नाम) दिनांक..... में प्रकाशित हुई है।

नोट:- (i) दरें शब्दों एवं अंकों दोनो रूप में लिखी जावे। दरों में कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं हों।

(ii) अस्पष्ट वाक्य जैसे:-'टैक्स पेड, कर सहित 'एज एप्लीकेबल का प्रयोग नहीं किया जावे।

5 बोली भरने की प्रक्रिया:-

ई-बोली प्रस्तुत करने की विस्तृत प्रक्रिया बोली आमंत्रण सूचना निविदा की शर्तों में उल्लेखित कर दी गई है। तदनुरूप ही बोली प्रस्तुत की जावे अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

मय मोहर



राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर
www.rpa.rajasthan.gov.in

पार्ट-A वित्तीय प्रस्ताव

क्र.सं.	सामग्री विवरण	अनुमानित मात्रा	इकाई	दर प्रति ईकाई	जीएसटी	कुल योग
1	जौ	347 क्विंटल	क्विंटल	अंको मे रू..... शब्दों मे रू.....	अंको मे रू..... शब्दों मे रू.....	
2	चना	277 क्विंटल	क्विंटल	अंको मे रू..... शब्दों मे रू.....	अंको मे रू..... शब्दों मे रू.....	
3	चापड़	140 क्विंटल	क्विंटल	अंको मे रू..... शब्दों मे रू.....	अंको मे रू..... शब्दों मे रू.....	
4	जई	26 क्विंटल	क्विंटल	अंको मे रू..... शब्दों मे रू.....	अंको मे रू..... शब्दों मे रू.....	
5	गुड़	13 क्विंटल	क्विंटल	अंको मे रू..... शब्दों मे रू.....	अंको मे रू..... शब्दों मे रू.....	
6	सरसो तेल	252 लीटर	लीटर	अंको मे रू..... शब्दों मे रू.....	अंको मे रू..... शब्दों मे रू.....	

नोट :- जीएसटी (यदि लागू हो) नियमानुसार पृथक् से देय होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम:-.....

पता:-.....

मोबाइल/दूरभाष:-.....



